न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 828 सन 2021

अनवान :-

1. भागाराम पुत्र किशनदास जाति स्वामी निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर।
2. धनदास पुत्र किशनदास जाति स्वामी निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर।
3. फुलदास पुत्र किशनदास जाति स्वामी निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर।
4. सन्तदास पुत्र किशनदास जाति स्वामी निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर।

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादी

दावा इस्तकरार हक अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :- श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :- 11|01|2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता एक वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आश्य का पेश किया की रोही मौजा पाण्डुसर के खाता संख्या 78/151 की कुल 28.6280हैक व खाता संख्या 58/107 की कुल 3.6920हैक में वादी संख्या 1 का नाम भागादास पुत्र किशनदास व वादी संख्या 2 ता 4 का नाम सही तौर से अंकित है तथा रोही मौजा गंगोई के खाता संख्या उ74/66 की कुल 13.7620हैक में वादी संख्या 1 का नाम भागीरथ पुत्र किशनदास व वादी संख्या 2 का नाम धनवीर पुत्र किशनदास वाद संख्या 3 का नाम मनफुल पुत्र किशनदास व वादी संख्या 4 का नाम सन्तराम दर्ज है

उक्त भूमि मे वादीगण का नाम भागाराम, भागीरथ, धनवीर मनफुल कर रखा है जबकि वादीगण का सही नाम भागाराम , धनदास फुलदास सन्तदास है सहवन से राजस्व रिकार्ड तैयार करते समय वादीगण का नाम गलत तौर से दर्ज किया गया है वादीगण का सही नाम भागाराम , धनदास फुलदास सन्तदास है यही नाम सभी दस्तावेजात में दर्ज है।

वादी के सभी दस्तावेजात जैसे भारत निर्वाचन आयोग का मतदाता फोटो पहचान पत्र , भारत सरकार का आम आदमी का आधार कार्ड , परिवार राशन कार्ड सभी में वादीगण का नाम भागाराम , धनदास फुलदास सन्तदास दर्ज है किन्तु राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम भागाराम, भागीरथ, धनवीर मनफुल सन्तदास दर्ज किया गया है जो गलत है।

वादी का राजस्व रिकार्ड में नाम गलत तौर से दर्ज होने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादी को राज्य सरकार के द्वारा दी जाने वाली केसीसी , खाद बीज का ऋण , मुआवजा व अन्य योजनाओं का लाभ प्राप्त नही हो पा रहा है वादी का अन्य किसी सहखातेदार से कोई अनुतोष नही है वादी केवल राजस्व रिकार्ड में अपना नाम संशोधन करवाना चाहता है।

अतः वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाकर भागाराम, भागीरथ, धनवीर मनफुल सन्तदास के स्थान पर भागाराम, भागीरथ, धनवीर मनफुल सन्तदास संशोधन करने के आदेश फरमावे वादी का वाद डिक्री फरमावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की रोही मौजा पाण्डुसर के खाता संख्या 78/151 की कुल 28.6280हैक व खाता संख्या 58/107 की कुल 3.6920हैक में वादी संख्या 1 का नाम भागादास पुत्र किशनदास व वादी संख्या 2 ता 4 का नाम सही तौर से अंकित है तथा रोही मौजा गंगोई के खाता संख्या उ74/66 की कुल 13.7620हैक में वादी संख्या 1 का नाम भागीरथ पुत्र किशनदास व वादी संख्या 2 का नाम धनवीर पुत्र किशनदास वाद संख्या 3 का नाम मनफुल पुत्र किशनदास व वादी संख्या 4 का नाम सन्तराम दर्ज है

उक्त भूमि मे वादीगण का नाम भागाराम, भागीरथ, धनवीर मनफुल कर रखा है जबकि वादीगण का सही नाम भागाराम , धनदास फुलदास सन्तदास है सहवन से राजस्व रिकार्ड तैयार करते समय वादीगण का नाम गलत तौर से दर्ज किया गया है वादीगण का सही नाम भागाराम , धनदास फुलदास सन्तदास है यही नाम सभी दस्तावेजात में दर्ज है।

उपखण्ड अधिकारी

Scanned with CamScanner

वादी के सभी दस्तावेजात जैसे भारत निर्वाचन आयोग का मतदाता फोटो पहचान पत्र , भारत सरकार का आम आदमी का आधार कार्ड , परिवार राशन कार्ड सभी में वादीगण का नाम भागाराम , धनदास फुलदास सन्तदास दर्ज है किन्तु राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम भागाराम, भागीरथ, धनवीर मनफुल सन्तदास दर्ज किया गया है जो गलत है।

वादी का राजस्व रिकार्ड में नाम गलत तौर से दर्ज होने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादी को राज्य सरकार के द्वारा दी जाने वाली केसीसी , खाद बीज का ऋण , मुआवजा व अन्य योजनाओं का लाभ प्राप्त नही हो पा रहा है वादी का अन्य किसी सहखातेदार से कोई अनुतोष नही है वादी केवल राजस्व रिकार्ड में अपना नाम संशोधन करवाना चाहता है।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार की रोही मौजा पाण्डुसर के खाता संख्या 78/151 की कुल 28.6280हैक्ट व खाता संख्या 58/107 की कुल 3.6920हैक्ट में वादी संख्या 1 का नाम भागादास पुत्र किशनदास व वादी संख्या 2 ता 4 का नाम सही तौर से अंकित है तथा रोही मौजा गंगोई के खाता संख्या उ74/66 की कुल 13.7620हैक्ट में वादी संख्या 1 का नाम भागीरथ पुत्र किशनदास व वादी संख्या 2 का नाम धनवीर पुत्र किशनदास वाद संख्या 3 का नाम मनफुल पुत्र किशनदास व वादी संख्या 4 का नाम सन्तराम दर्ज है

वादी का कथन है कि वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय भागाराम , धनदास फुलदास सन्तदास के स्थान पर भागाराम, भागीरथ, धनवीर मनफुल सन्तदास दर्ज किया गया है सही नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के मतदाता पहचान पत्र, आम आदमी का आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, दस्तावेजात सभी में वादी का नाम भागाराम , धनदास फुलदास सन्तदास दर्ज है। वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात से वादीगण का नाम भागाराम , धनदास फुलदास सन्तदास होना प्रतित होता है

वादी के राजस्व रिकार्ड एवं प्रस्तुत अन्य दस्तावेजात में वादी के नामों में भिन्नता है तहसीलदार राजस्व नोहर के अनुसार वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है साथ ही यदि वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाता है तो राज्य सरकार को किसी प्रकार की हानी नही होती है बल्की राजस्व रिकार्ड ही संशोधित होता है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात , शपथ पत्र/पेरोकार राज की अभिशषा सरपंच ग्राम पंचायत की तस्दीक के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री हैं।

वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं सरपंच ग्राम पंचायत पाण्डुसर की तस्दीक /तहसीलदार की अभिशषा के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा पाण्डुसर के खाता संख्या 78/151 की कुल 28.6280हैक्ट व खाता संख्या 58/107 की कुल 3.6920हैक्ट दोनो खातो में वादी संख्या 1 का नाम भागादास पुत्र किशनदास ,के स्थान पर भागाराम उर्फ भागादास पुत्र किशनदास तथा रोही मौजा गंगोई के खाता संख्या 74/66 की कुल 13.7620हैक्ट में वादी संख्या 1 का नाम भागीरथ पुत्र किशनदास , वादी संख्या 2 का धनवीर पुत्र किशनदास वादी संख्या 3 का नाम मनफुल पुत्र किशनदास वादी संख्या 4 का नाम सन्तराम पुत्र किशनदास अंकित है के स्थान पर क्रमंश – भागाराम उर्फ भागीरथ पुत्र किशनदास, धनदास उर्फ धनवीर पुत्र किशनदास, फुलदास उर्फ मनफुल पुत्र किशनदास, सन्तदास पुत्र किशनदास संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकिन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 11/01/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :– सुश्री श्वेता कोचर (आर.ए.एस)

अनवान :–

1. भागाराम पुत्र किशनदास जाति स्वामी निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर।
2. धनदास पुत्र किशनदास जाति स्वामी निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर।
3. फुलदास पुत्र किशनदास जाति स्वामी निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर।
4. सन्तदास पुत्र किशनदास जाति स्वामी निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर।

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 828 सन 2022 निर्णय दिनांक– 11/01/2022

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष उभयपक्षो की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्यों के आधार पर वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा पाण्डुसर के खाता संख्या 78/151 की कुल 28.6280हैक्ट व खाता संख्या 58/107 की कुल 3.6920हैक्ट दोनो खातो में वादी संख्या 1 का नाम भागादास पुत्र किशनदास ,के स्थान पर भागाराम उर्फ भागादास पुत्र किशनदास तथा रोही मौजा गंगोई के खाता संख्या 74/66 की कुल 13.7620हैक्ट में वादी संख्या 1 का नाम भागीरथ पुत्र किशनदास , वादी संख्या 2 का धनवीर पुत्र किशनदास वादी संख्या 3 का नाम मनफुल पुत्र किशनदास वादी संख्या 4 का नाम सन्तराम पुत्र किशनदास अंकित है के स्थान पर क्रमंश – भागाराम उर्फ भागीरथ पुत्र किशनदास, धनदास उर्फ धनवीर पुत्र किशनदास, फुलदास उर्फ मनफुल पुत्र किशनदास, सन्तदास पुत्र किशनदास संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकिन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेंगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 11/01/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner